हेतु नियत दिनांक 25.11.25 को पेश हो।

25.11.25 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीया उपस्थित, वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– संजना जोशी आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 407/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– राजू कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह राणावत, जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाडा (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

1– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1– श्री सूरज सनाढ़य व अन्य (अधिवक्ता प्रार्थिया)

निर्णय

दिनांक 25.11.2025

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन दिनांक 06.03.2025 को प्रस्तुत किया। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बांकली पटवार मण्डल चाखेड़ भू.अ.नि. चांदरास तहसील माण्डल स्थित आराजी नं. 1379 रकबा 0.3288 है0 भूमि प्रार्थिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर पहुंच हेतु कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता जो आराजी नं. 1145 से होते हुये गै.मु. रास्ता जिसके आराजी नं. 1361 से होते हुये आराजी सं. 1362 रकबा 0.2276 है0 की मेड़ से होकर मुझ प्रार्थिया की आराजी सं. 1379 रकबा 0.3288 है0 में आया जा सकता है तथा आराजी नं. 1362 रकबा 0.2276 है0 राजस्व रेकार्ड में बंजड़ बिलानाम सरकार के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी की आराजी सं. 1362 रकबा 0.2276 है0 में से मुझ प्रार्थीया को रास्ता दिया जावे जो कि उपरोक्त अनुसार अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है लेकिन उक्त रास्ता रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीया को अपनी आराजियात में आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है, इसलिये मुझ प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को अपनी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नं. 1362 रकबा 0.2276 है0 में जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शित है मे 20 फीट चौड़ाई के रास्ते को रास्ते के रूप में कायम करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना वांछित है।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी राज्य सरकार होने से न्यायालय द्वारा उक्त दर्ज प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार माण्डल को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

तहसीलदार माण्डल के पत्रांक/2477 दिनांक 27.08.2025 एवं पत्रांक/4106 दिनांक 24.10.2025 से प्रकरण में भू.अ.नि. एवं हल्का पटवारी द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी संलग्न कर भिजवाये गये जिसे शामिल मिसल किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

भू.अ.नि. / हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव जो तहसीलदार माण्डल की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीया को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है जो निम्न है:–

1. आराजी नं. 1362 में मौके पर आने–जाने हेतु रास्ता बना हुआ है।
2. मौके पर रास्ता बंद नहीं है।
3. मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा पंहुच हेतु अन्य रास्ता नहीं है। प्रश्नगत आराजी पर आराजी नं. 1145 गे.मु. रास्ते से होते हुए आराजी नं. 1361 खातेदार नारायण, महावीर पिता सोहन वगैराह लुहार की खातेदारी भूमि से होते हुए आराजी नं. 1362 से होते हुए स्वंय की आराजी में आते जाते है।
4. वर्तमान में आराजी नं. 1362 से ही आते–जाते है।
5. प्रस्तावित रास्ता खातेदार नारायण पिता सोहन वगैराह लुहार, गीता, महावीर पिता सोहन, प्रभुड़ी पत्नि सोहन लुहार सा.देह खातेदार की आराजी नं. 1361 रकबा 0.1012 है0 किस्म गे.मु. रास्ता लम्बाई 500 फीट गुणा चौड़ाई 20 फीट वांछित रकबा 0.1012 है0 एवं खातेदार राज. सरकार आराजी नं. 1362 रकबा 0.2276 है0 किस्म बंजड़ लम्बाई 66 फीट गुणा चौड़ाई 20 फीट वांछित रकबा 0.0126 है0 है।
6. वर्तमान में जो रास्ता है एवं प्रार्थीया जो रास्ता चाहती है वह दोनो एक ही है जिसे रेड़ इंक से दर्शाया गया है,।
7. मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
8. मौके पर प्रार्थीया की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की गई जो संलग्न है। अप्रार्थी की आराजी नं. 1362 राजस्थान सरकार एवं आराजी नं. 1361 में खातेदार नारायण, महावीर, गीता पिता सोहन एवं प्रभुड़ी पत्नी सोहन लुहार मौजूद नहीं है।

प्रकरण में भू.अ.नि. एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत् रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की आराजियात पर पंहुच हेतु एकमात्र रास्ता सरकारी रास्ता आ.नं. 1145 से होते हुए खातेदारी आराजी नं. 1361 किस्म गे.मु. रास्ते से होते हुए आराजी नं. 1362 बिलानाम भूमि से दिया जाना प्रस्तावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबंधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमंशा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि में पहुचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार माण्डल से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार आराजी नं. 1362 में से रास्ता प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अनुसार स्वीकार इस आशय के साथ किया जाता है कि अप्रार्थी को डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान उनके क्षैत्रफल अनुसार करेगें।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मौजा बांकली पटवार मण्डल चाखेड़ गत भू.अ.नि. चांदरास हाल भू.अ.नि. लेसवा तहसील माण्डल की आराजी नं. 1362 रकबा 0.2276 है0 किस्म बंजड़ भूमि में से 0.0126 है0 भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त 0.0126 है0 का जिसे नजरी नक्शा / खसरा नक्शे में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्शा की एक प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा बांकली पटवार मण्डल चाखेड़ गत भू.अ.नि. चांदरास हाल भू.अ.नि. लेसवा तहसील माण्डल की आराजी नं. 1379 रकबा 0.3288 है0 भूमि में पहुचने हेतु ग्राम बांकली की आराजी नं. 1362 रकबा 0.2276 है0 किस्म बंजड़ भूमि में से 0.0126 है0 भूमि मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार माण्डल द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान उनके क्षैत्रफल अनुसार करेगें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(संजना जोशी)
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
जिला भीलवाड़ा